(वाद संख्या–2908/17)

29.06.2021

परिवादी, डॉ0 ब्रह्मदेव साह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की ओर से पुनः दिये गये आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उपस्थापित संचिका संख्या–BHRC/Comp-2908/17 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मगध विश्वविद्यालय, बोधगया द्वारा उसे अवैध रूप से प्रधानाचार्य, एस0डी0 कॉलेज, कलेर (अरवल) के पद से दिनांक–01 दिसम्बर, 1999 को स्थानांतरित कर मुख्यालय में पदस्थापित करने के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे अपमानित किये जाने के फलस्वरूप, पंद्रह लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु पूर्व में समर्पित आवेदन का निस्तारण कर दिये जाने के उपरान्त, परिवादी द्वारा उसी आशय का पुनः आवेदन दिये जाने पर संचिका उपस्थापित की गयी है।

चूंकि परिवादी द्वारा उक्त के संबंध में समान आशय का एक अभ्यावेदन महामहिम कुलाधिपति को दिया गया था जिसकी पूरी तरह सुनवाई कर महामहिम द्वारा उनके अभ्यावेदन को गुण–दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था।

अब, जबकि महामहिम कुलाधिपति (सक्षम प्राधिकार) द्वारा समान आशय के परिवादी के अभ्यावेदन पर, उभय पक्ष को पूर्णरूपेण सुनकर, अस्वीकृत किया जा चुका है एवं आयोग स्तर पर भी उक्त आलोक में समान आशय के अभ्यावेदन रहने की स्थिति में पूर्व में ही तीन बार अस्वीकृत किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त समान आशय का ही परिवादी द्वारा पुनः दिये गये अभ्यावेदन पर आयोग स्तर पर कोई कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में आयोग के स्तर पर परिवादी द्वारा चौथी बार समान आशय के ही पुनः दिये गये तत्सम्बन्धी अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>